भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या. 221
(जिसका उत्तर मंगलवार, 22 जुलाई, 2025/31 आषाढ़, 1947 (शक) को दिया जाना है।)

पश्चिमी बंगाल से कंपनियों का पुनर्वस्थापना

221. श्री सामिक भट्टाचार्य:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के दौरान कितनी कंपनियों ने अपने पंजीकृत कार्यालय को पश्चिमी बंगाल से देश के अन्य राज्यों में पुनर्वस्थापित किया है तथा तत्संबंधी वर्ष-वार वित्तीय आंकड़े क्या हैं;
(ख) ये कंपनियां किन गंतव्य राज्यों में स्थानांतरित हुई हैं और प्रत्येक राज्य में कितनी कितनी कंपनियां स्थानातरित हुई हैं; और
(ग) इनमें से कितनी कंपनियां सूचीबद्ध हैं और पश्चिमी बंगाल से मुख्यालय स्थानांतरित करने वाली सभी कंपनियों का क्षेत्र-वार वितरण क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) से (ग): 1 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च 2025 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालयॉ को स्थानांतरित करने वाली कंपनियों की संख्या 6688 है और वित्तीय वर्ष-वार डाटा अनुलग्नक-। पर दिया गया है। इनके अतिरिक्त, स्थानान्तरण के परिणाम स्वरूप कंपनियॉ के गंतव्यत राज्यों का विवरण के साथ गैरसूचीबद्ध और सूचीबद्ध कंपनियों के वर्गीकरण का ब्यौरा, अनुलग्नक-॥ में दिया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत शब्द मुख्यालय को पारिभाषित नहीं किया गया है, तदनुसार ऐसा कोई डाटा नहीं रखा जाता है।

*****

अनुलग्नक - I

01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2025 की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल से स्थानांतरित की गई कंपनियों की संख्या

वित्तीय वर्ष	**कंपनियों की संख्या**
2011-12	215
2012-13	87
2013-14	384
2014-15	382
2015-16	869
2016-17	918
2017-18	1027
2018-19	542
2019-20	678
2020-21	306
2021-22	273
2022-23	270
2023-24	371
2024-25	366
कुल योग	**6688**

अनुलग्नक - II

पंजीकृत कार्यालय के स्थानांतरण पर कंपनियों के गंतव्य राज्यों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	असूचीबद्ध**	सूचीबद्ध**	कुल योग
1	अंडमान और निकोबार	9	-	9
2	आंध्र प्रदेश	61	-	61
3	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-
4	असम	263	-	263
5	बिहार	86	-	86
6	चंडीगढ़	18	-	18
7	छत्तीसगढ़	511	-	511
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	5	1	6
9	दिल्ली	1277	20	1297
10	गोवा	18	-	18
11	गुजरात	409	14	423
12	हरियाणा	164	3	167
13	हिमाचल प्रदेश	15	-	15
14	जम्मू और कश्मीर	1	-	1
15	झारखंड	235	1	236
16	कर्नाटक	268	-	268
17	केरल	2	1	3
18	लद्दाख	-	-	-
19	लक्षद्वीप	-	-	-
20	मध्य प्रदेश	184	2	186
21	महाराष्ट्र	1263	45	1308
22	मणिपुर	10	-	10
23	मेघालय	10	-	10
24	मिजोरम	-	-	-
25	नागालैंड	-	-	-
26	उड़ीसा	197	4	201
27	पुडुचेरी	-	-	-
28	पंजाब	33	-	33
29	राजस्थान	329	4	333
30	सिक्किम*	-	-	-
31	तमिलनाडु	155	6	161
32	तेलंगाना	149	6	155
33	त्रिपुरा	3	-	3
34	उत्तर प्रदेश	876	3	879
35	उत्तराखंड	27	-	27
	कुल योग	**6578**	**110**	**6688**

*कंपनी अधिनियम, 2013 सिक्किम राज्य में लागू नहीं है।

**सूचीबद्ध/असूचीबद्ध स्थिति पुनर्स्थापन की तारीख को है और तब से इसमें परिवर्तन हो सकता है।

*****